

आवेदन पत्र संख्या :- UK24RD1000008219



उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र

अधिसूचना संख्या 64/36(13)(2019/19(1) दि० 7 मई, 2019 के अधीन)



प्रमाण पत्र संख्या : UK24RD1000008219

दिनांक : 12-April-2024

यह प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री/पत्नी
माता का नाम
निवासी ग्राम/नगर निकाय क्षेत्र
तहसील
जिला

आयुष गहतोडी
मदन मोहन गहतोडी
रेनू गहतोडी
जौलाडी
पाटी
चम्पावत

वित्तीय वर्ष : 2024 - 2025 हेतु मान्य।

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं। जिनका नवीनतम फोटो प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष 2023 - 2024 की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक रु० 8.00 लाख (रुपये आठ लाख मात्र) से कम है, और इनका परिवार निम्न में से कोई संपत्ति धारित नहीं करता है:-

- कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक या
- आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक या
- अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड या
- अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

श्री/श्रीमती/कु० **आयुष गहतोडी** जो कि सामान्य जाति से हैं, और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं हैं।

केंद्र आईडी : 647732210013

पाटी

Champawat

Digitally Signed
Signed by: **Balwant Singh**
Date: 12 Apr 2024
Time: 11:33:31 am

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम: तहसीलदार

नोट 1: इस उद्देश्य के लिए परिवार में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।

नोट 2: आय में सभी स्रोत शामिल हैं अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।

नोट 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/शहरों में एक परिवार द्वारा रखी गई संपत्ति को संयोजित किया गया है।